सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 133 राँची, सोमवार

18 फाल्गुन, 1936 (श०)

9 मार्च, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

3 मार्च, 2015

संख्या-5/आरोप-1-658/2014 का०- 2055 -- कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, लोहरदगा का पत्रांक- 64(1)/स्था0, दिनांक 24 मार्च, 2011

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-2739, दिनांक 24 मई, 2011, संकल्प सं0-493, दिनांक 18 जनवरी, 2012 एवं पत्रांक-4540, दिनांक 27 मई, 2013

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-166, दिनांक 30 अप्रैल, 2013

श्री संजय पी0एम0 कुजूर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-782/03, गृह जिला- राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू, लोहरदगा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोपों हेतु प्रपत्र- 'क' में आरोप उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक- 64(1)/स्था0, दिनांक 24 मार्च, 2011 द्वारा प्राप्त है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

1. विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा का दिनांक 16 जनवरी, 2009 को पारित न्यायादेश एवं अनके अग्रसारण पत्रांक-69, दिनांक 17 जनवरी, 2009 तथा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के वाद संख्या क्री0 एम0 पी0 नं0-509/2009 दिनांक 6/03 मार्च, 2011 में पारित न्यायादेश के आलोक में संयुक्त जाँच दल का जाँच प्रतिवेदन अपर समाहर्ता-सह- उप विकास आयुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-263/रा0, दिनांक 22 मार्च, 2011 द्वारा प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र- 'क' का गठन किया गया है। काम के बदले अनाज योजना अन्तर्गत योजना सं0-35/2005-06 ग्राम-टाटी, प्रखण्ड-कुडू, जिला- लोहरदगा में गुडगुड गढ़ा तालाब का निर्माण रैयती निजी जमीन पर तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू द्वारा कार्यान्वित करायी गयी। योजना की प्राक्कलित राशि 1,41,500/- रूपये के विरूद्ध योजना के अभिकर्ता अध्यक्ष बलदेव लोहरा एवं सचिव राजू लोहरा को योजना प्रारम्भ करने हेतु प्रथम अग्रिम के रूप में 30,000/- रूपये (खाद्यान्न सहित) भुगतान किया गया। कार्य प्रारम्भ हेतु प्रथम अग्रिम के रूप में दी गयी राशि अत्यधिक है। पुनः द्वितीय अग्रिम बिना कार्य मूल्यांकन, बिना मापी पुस्त, बिना मस्टर रोल तथा प्रथम अग्रिम के बगैर समायोजन किये 50,000/- रूपये विमुक्त किया गया एवं व्ययगत् राशि असमायोजित रखी गयी। इस प्रकार बिना कार्य मूल्यांकन के दो अग्रिम 80,000/- रूपये देना एवं उक्त राशि असमायोजि रखना- वित्तीय अनियमितता एवं दुर्विनियोग की श्रेणी में आता है ।

2. योजना अभिलेख सं0-55/2005-06 का समुचित संधारण नहीं किया गया । योजना अभिलेख में मस्टर रोल एवं मापी पुस्त उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप व्ययगत् राशि असमायोजित रह गयी । यह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की ''काम के बदले अनाज'' योजना के प्रति लापरवाही एवं सरकारी राशि के वित्तीय नियंत्रण में असफल रहने का पुख्ता सबूत है ।

3. काम के बदले अनाज केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत श्रम परक योजना थी, जिसमें पोकलेन मशीन के प्रयोग की सूचना मिलने पर योजना क्रियान्वयन पदाधिकारी अर्थात तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू को स्वयं तुरन्त स्थल निरीक्षण कर घटना स्थल से संबंधित तथ्यों को संकलित कर तथ्यपरक एवं प्रभावित प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करनी थी, किन्तु इसके विपरीत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू द्वारा न तो स्वयं प्राथमिकी दर्ज की गयी और न ही इस हेतु अधिनस्थ

कर्मियों को कोई लिखित आदेश ही दिया गया । अतः दर्ज प्राथमिकी तथ्यात्मक एवं Specific न होकर अत्यंत ही Vague है। मात्र कनीय अभियंता को मौखिक निदेश देकर खानापूर्ति करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया गया, जिसमें पोकलेन मशीन के प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। घटना स्थल प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू के आवास स्थल से मात्र 2 कि0मी0 की दूरी पर कुडू लोहरदगा पथ के बगल में अवस्थित है। घटना की सूचना मिलने के तुरन्त पश्चात् यदि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू, लोहरदगा स्थल निरीक्षण करते तो पोकलेन मशीन के चलने या नहीं चलने का पुख्ता सबूत एवं साक्ष्य उन्हें उपलब्ध हो जाता और प्रभावी प्राथमिकी दायर किया जा सकता था। लेकिन तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने ऐसा नहीं किया एवं इस विशुद्ध रूप से श्रम परक योजना के कार्यान्वयन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यह उनके केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के प्रति संवेदनहीनता का परिचायक है ।

4. योजना में पोकलेन मशीन चलने की सूचना अपने उच्चाधिकारी द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2006 को रात्रि में दूरभाष से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू को दी गयी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज दिनांक 04 मार्च, 2006 को की गयी। प्राथमिकी दर्ज करने में प्रयास समय लिये जाने के बावजूद तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू ने न तो अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता से पोकलेन मशीन चलाये जाने संबंधी कोई लिखित प्रतिवेदन माँगा और न ही उन्होंने कनीय अभियंता को प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी कोई लिखित आदेश हस्तगत् कराया । पोकलेन मशीन चलाये जाने संबंधी घटना को तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू ने अत्यंत ही हल्के ढंग से लिया, जिसके चलते अभियोजन पक्ष/सरकारी पक्ष कमजोर एवं असफल हुआ ।

5. उक्त तालाब में कार्य किये अधिकांश मजदूरों का लगभग एक सप्ताह का मजदूरी भुगतान आज भी लम्बित है, जिसके लिए तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू दोषी हैं ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री कुजूर से विभागीय पत्रांक-2739, दिनांक 24 मई, 2011 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्र, दिनांक 19 जून, 2011 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-493, दिनांक 18 जनवरी, 2012 द्वारा श्री कुजूर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी- सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-166, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 द्वारा श्री कुजूर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही

संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें कुजूर के विरूद्ध सभी आरोप प्रमाणित पाये गये हैं ।

विभागीय पत्रांक-4540, दिनांक 27 मई, 2013 द्वारा श्री कुजूर से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है ।

इस प्रकार, श्री कुजूर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री कुजूर के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दण्ड उनपर अधिरोपित किया जाता है:-

(1) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं

(2) निन्दन

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 133--50 ।